भूमण्डलीकरण

Globalization

भूमंडलीकरण पूरे विश्व को एक गांव बनाने की बात करता है, जिसमें सारी दुनिया के लोग एक ही प्रकार का खाना खायें, कपड़ा पहनें और एक ही प्रकार के बने घरों में निवास करें। यह आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखता है तथा इसका आधार प्रौद्योगिकी है। यह देश की सीमा को आर्थिक रूप से रुकावट रहित कर देती है तथा राज्य की भूमिका कानून व्यवस्था तक ही सीमित मानती है। इसका आधार नयी प्रौद्योगिकी है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव प्रजाति में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास किया है। भारत में 1991 के बाद भुगतान संतुलन की समस्या तथा विदेशी ताकतों के दबाव के तहत भूमंडलीकरण की नीतियां लागू हुई।

भू मंडलीकरण की वास्तविक परिभाषा उसके शब्द से ही स्पष्ट होती है। भू अर्थात पृथ्वी या धरती, मंडलीकरण अर्थात् मंडल में परिवर्तित कर देना। इस पूरे शब्द का तात्पर्य होगा कि इस पूरी धरती या पूरे विश्व को एक मंडल बना देना। अब इस मंडल को किस प्रकार से समझा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखता है, वस्तुतः भूमंडलीकरण व्यापार की एक केंद्रीय व्यवस्था है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में भूमंडलीकरण का अर्थ उसके व्यापारिक क्षेत्र को केन्द्रित करके उसका संचालन किसी बड़ी कम्पनी या व्यक्ति के हाथों में दे देना है।

नये संदर्भों में भूमंडलीकरण वह व्यवस्था है, जिसमें पूंजी राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर मुक्त रूप से विचरण करती है और अपने विस्तार के लिए सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल की तलाश में रहती है, जिसमें अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा अमीर देशों के दबाव में राज्यों के नियम-कानून समाप्त किये जाते हैं, एवं अंतराष्ट्रीय व्यापार समाकलित किया जाता है। इसमें दुनिया भर का वित्तीय व्यापार आपस में जुड़ा होता है, जिसमें भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता का नियमन कर्ज संकलन की एक विश्वव्यापी प्रक्रिया द्वारा होता है और जिसमें एक सुधरते हुए पूंजीवाद की नव उदारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त होता है। भूमंडलीकरण किसी भी व्यवस्था अथवा उद्योगों की व्यवस्था को केन्द्रित करने की बात कहता है।

भूमण्डलीकरण का आधार प्रौद्योगिकी है। नई टेक्नोलॉजी की विश्व व्यवस्था में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सीमाओं को लांघना पड़ता है। इसके लिए नई प्रौद्योगिकी का विस्तारवादी स्वभाव बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। अगर कथित भूमंडलीकरण को नई प्रौद्योगिकी का सहारा नहीं मिलता तो यह राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लांघ पाता, क्योंकि राष्ट्रवाद से टकराव में यह अंतर-राष्ट्रवाद शायद ही टिक पाता, परन्तु प्रौद्योगिकी बिना आवाज के प्रवेश कराती है भूमंडलीकरण की धारणा।

ऐतिहासिक परिदृश्य

भूमंडलीकरण की संकल्पना का विकास 19 वीं शताब्दी में अंतराष्ट्रीय व्यापार में हुई वृद्धि के साथ ही हुआ था। वस्तुतः सन् 1800 एवं 1913 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में वैश्विक व्यापार में 29 से 64% के मध्य औसतन दशकीय वृद्धि हुई। इसके विपरीत वैश्विक उत्पादकता ने 7. 3% की दशकीय वृद्धि दर्शायी, 1800 ई. की तुलना

Scanned with CamScanner

में सन् 1913 में विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति संवृद्धि 25 गुणा अधिक थी। आंकड़ों के उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्ष 1913 में कुल वैश्विक उत्पादकता की तुलना में विदेशी व्यापार 33% था जबकि वर्ष 1800 में यह केवल 3% रहा था। इस संवृद्धि का मुख्य कारण व्यापक स्तर पर पूंजी प्रवाह था। साथ ही विदेशी व्यापार में श्रम तथा पूंजी की विशिष्टताओं ने भी अप्रतिम योगदान दिया था। ब्रिटेन में वर्ष 1870 एवं 1914 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का 4% अंश निर्यात का रहा। 1914 में ब्रिटेन का कुल विदेशी निवेश 20 अरब पाउंड था। कमोवेश यही स्थिति सम्पूर्ण यूरोप में दृष्टिगोचर हुई थी। इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लगभग यही स्थिति बनी रही तथा पूंजी प्रवाह ने अमेरिकी विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण का प्रचलन प्रभावी था। साथ ही इस काल में भूमंडलीकरण का संबंध बेरोजगारी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही स्थापित हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से व्यापार भूमंडलीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष था। इसके अतिरिक्त देशान्तरण ने भी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। यूरोप से अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों के मध्य देशान्तरण सर्वाधिक था। इटली से फ्रांस तथा जर्मनी जाने वाली जनसंख्या का अंश भी बड़ा था। देशान्तरण का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका में परिलक्षित हुआ क्योंकि वहां श्रमिकों की संख्या में लगभग 24% की वृद्धि ने श्रमिकों तथा देश के लिए समस्याएं उत्पन्न कर दीं। अमेरिका तथा यूक्रेन द्वारा किये जाने वाले आयात के कारण 1870 के दशक के उत्तरार्द्ध में श्रमिकों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी थी लेकिन इसी काल में महाद्वीपीय युरोप ने अपना ध्यान कृषि विपणन पर ही केन्द्रित रखा था। अमेरिका द्वारा नागरिक विरोध को देखते हुए प्रशुल्कों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गयी। जिसके फलस्वरूप अमेरिकी बाजारों में उत्पादों के प्रवाह को नियंत्रित कर दिया गया। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से नव स्थापित विनिर्माण उद्योगों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंधों की घोषणा भी की थी।

भूमंडलीकरण का स्वरूप

भूमंडलीकरण अपने स्वरूप के लिए दो स्तंभों को उत्तरदायी मानता है, जिन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

- देश की सीमा को आर्थिक रूप से रूकावट रहित कर देना। अर्थात् वस्तुओं के व्यापार, पूंजी के प्रवेश और अन्य कार्यकलापों में देश की सीमा अवरोधक न बनें
- राज्य की भूमिका कानून व्यवस्था तक ही सीमित हो। अर्थात राज्य आर्थिक कार्यों का बिल्कुल नियंत्रित न करें तथा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप भी न करें।

भूमंडलीकरण का व्यावहारिक अर्थ

भूमंडलीकरण व्यावहारिक रूप में पूरे विश्व को एक गांव बनाने की बात करता है जिसमें सारी दुनिया के लोग एक ही प्रकार का खाना खायें, कपड़ा पहने और एक ही प्रकार के बने घरों में निवास करें। अर्थात् वह उत्पादन और उपभोग को सम्पूर्ण विश्व में एक रूप कर देना चाहता है।

जब पूरे विश्व को एक जैसा बनाने की बात की जाती है तब भूमंडलीकरण का ही पुरजोर समर्थन होता है। जबकि किसी भी समय किसी भी परिप्रेक्ष्य में ऐसा होना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति और व्यवस्था क्रम एक समान नहीं होते। चाहे वह आर्थिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो अथवा भाषाई व्यवस्था हो। अत: पूरे विश्व को एक गांव में बदल देने की बात एक कल्पना ही है। क्योंकि सारी दुनिया एक जैसी उदारवादी आर्थिक नीति का अनुसरण करे और एक ही शैली अपनाकर एक ही तरह की उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल करे, ऐसा वर्तमान समय में तो सम्भव नहीं है।

भूमंडलीकरण की विशेषताएं

अपनी विभिन्न विलक्षणताओं के साथ भूमंडलीकरण की संकल्पना सम्पूर्ण विश्व के लिए

Scanned with CamScanner

एक सत्य के रूप में उभर कर सामने आयी है। दूसरे शब्दों में भूमंडलीकरण का कोई विकल्प विश्व के सम्मुख उपलब्ध नहीं है। वैश्विक रूपान्तरण की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण ने एक ऐसे उपकरण अथवा युक्ति का कार्य किया है जिसके माध्यम से विकासशील देशों के विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को त्वरित गति प्रदान करने में सफलता प्राप्त होती है। शीत युद्ध की समाप्ति तथा सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त वर्तमान विश्व के परिवर्तनशील परिदृश्य में भूमंडलीकरण की विशिष्टताओं के संबंध में कई अर्थशास्त्रियों ने विस्तृत व्याख्या की है जिनमें से प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है:

अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय: दो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य उत्पादों एवं सेवाओं का मुक्त वातावरण में होने वाले विनिमय से ही उनका समन्वय संभव होता है। विगत दशक में ऐसे ही वातावरण का निर्माण वैश्विक स्तर पर हुआ है जिसका मुख्य कारण भूमंडलीकरण की संकल्पनाओं का विकास एवं विस्तार है। इस प्रकार समन्वय की सहायता से उत्पादों एवं सेवाओं के सीमान्तीय प्रवाह में अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किसी उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया को चरणबद्ध बनाया जा सकता है। चरणबद्ध प्रक्रिया की सहायता से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को समन्वित करने में सफ़लता प्राप्त होती है।

बन्द अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक लाभकारी: भूमंडलीकरण वस्तुत: बंद अर्थव्यवस्था के विपरीत विकसित संकल्पना है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किसी राष्ट्र की अर्थव्यस्वथा के साथ होता है, जिसके उपरान्त ही मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुक्त व्यापारिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता पूंजी प्रवाह में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण के फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिला है। मुक्त अथवा भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था की तुलना में किसी बन्द अर्थव्यवस्था में प्रशुल्क, व्यापार अथवा यथांश के संदर्भ में कई प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं जिनके कारण उत्पादों एवं पूंजी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होते हैं। इस दृष्टिकोण से भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था किसी बन्द अर्थव्यवथा की अपेक्षा अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। मुक्त व्यापार एवं अतिरिक्त पूंजी प्रवाह के फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग सामाजिक विकास के क्षेत्र में किया जा सकता है।

कार्यकुशलता उन्नयन: तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के आधार पर ही उत्पादन के क्षेत्र में विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। किसी देश द्वारा ऐसे दृष्टिकोण की प्राप्ति के उपरांत उत्पाद विशेष के विपणन हेतु बाजारों की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

देशान्तरण के लाभ: भूमंडलीकरण के काल में अंतरसीमांतीय देशांतरण में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विकासशील देशों से न्यून कार्यकुशलता वाली जनसंख्या का विकसित देशों में स्थानांतरित होने के फलस्वरूप विकसित देशों की श्रम समस्या का समाधान होता है। इसके अतिरिक्त दक्ष जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण विकासशील देशों में जननांकीय परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी जनसंख्या स्वदेश में पूंजी प्रवाह को भी प्रोत्साहित करती है।

भूमंडलीकरण की समस्याएं

सम्पूर्ण विश्व में सभी देश इस तथ्य से सहमत हैं कि यद्यपि भूमंडलीकरण ने वैश्विक व्यापार एवं पूंजी प्रवाह में व्यापक परिवर्तन किये हैं तथापि सामाजिक क्षेत्र में इसके कुप्रभाव भी परिलक्षित होते हैं जो निम्न हैं:

- भूमंडलीकरण मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आस-पास के संसाधनों से न करके दूरदराज क्षेत्र पर निर्भर बनाता है।
- देशी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के लिए चलाई जाती है जिससे लघु उत्पादन नष्ट होते हैं।
- उदारवादी नीति के कारण नई विश्व आर्थिक व्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में होती है।

Scanned with CamScanner

- अर्थव्यवथा के किसी भी क्षेत्र में विकास दर तेज नहीं हुई है जिससे चारों ओर गरीबी बढ़ रही हैं।
- विदेशी पूंजी यहां के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर अनावश्यक उत्पादन में लग रही है।
- उदारवादी नीति ने अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय जीवन की गरीबी, बेकारी और गैर बराबरी जैसी समस्याओं की प्राथमिकता से हटाकर निर्यात के एक लक्ष्यीय कार्यक्रम में लगा दिया है।
- दूसरे पर निर्भरता पहले से अधिक बढ़ी है।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है और वे अर्थव्यवथाओं के सभी अंगों पर कब्जा करके शोषण को बढ़ावा दे रही हैं।
- देश की बढ़ती आर्थिक बदहाली के लिए सरकार की जबावदेही कम होती जा रही है।
- देश की अर्थव्यवस्था विदेशोन्मुख हुई है तथा राजनीति, समाज के निचले तबके की ओर गई है।
- भूमंडलीकरण के कारण राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ता है तथा लोगों का लक्ष्य सत्ता तक पहुंचना ही रह गया है।
- अर्थनीति और राजनीति में विरोधाभासी प्रवृति पैदा हो रही है जो देश में नये संकट को जन्म दे रही है।
- समाज में गैर बराबरी बढ़ा रही है, जिससे सामाजिक विकृतियों की बाढ़ सी आ गई है।
- गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, अपितु उच्च वर्ग में उपभोगवादी संस्कृति का व्यापक असर हुआ है।
- जातिवादी और साम्प्रदायिक मानसिकता बढ़ती जा रही है।
- सारी दुनिया के विश्वस्तरीय गांव हो जाने से संस्कृति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और लोग अपनी जन्मभूमि से उखड़ जायेंगे।
- भूमंडलीकरण विविध संस्कृति के स्थान पर एक मशीनवादी संस्कृति को स्थापित करेगा।
- विश्व में भ्रष्टाचार, आतंक एवं हिंसा में और अधिक वृद्धि होगी।

भारत में भूमण्डलीकरण

भूमंडलीकरण को लागू करने के लिए भारत में 1970-75 के समय में ही माहौल बनाया जाने लगा था और इसके लिए अंतराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत पर दबाव बना कर यहां के आर्थिक नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में कर लिया था, जिससे वे उन्हीं की भाषा बोलने लगे थे। फिर परिणाम यह हुआ कि 1988-89 तक भारत में इसे लागू करने हेतु पूरा पैकेज तैयार किया जा चुका था। 1990 में देश में आर्थिक संकट का दौर था और इसी दौरान भूमंडलीकरण को लागू करने का उन्हें सुनहरा मौका मिला। वर्ष 1995 में 'गैट' डब्ल्यूटीओ के रूप में सामने आया और इसके नियमों ने भारत को भूमंडलीकरण लागू करने के लिए और बाध्य किया क्योंकि भारत के लिए उस स्थिति में 'डब्ल्यूटीओ' से बाहर रहना सम्भव नहीं दिखा।

वर्ष 1991 में भारत में भुगतान संतुलन की भारी समस्या पैदा हुई। इस समस्या ने देश के अर्थतन्त्र को नया मोड़ दे दिया और भारत पर विदेशी ताकतों का दबाव पड़ा। इसी दबाव के तहत भूमंडलीकरण व उदारीकरण की नीतियां लागू हुई। इसी दशक में दुनिया के तमाम देशों ने भी इसी उदारवादी नीति को लागू किया।

भारत जैसे विकासशील देश को इस प्रक्रिया का पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसका प्रमुख कारण विकासशील देशों की आर्थिक तथा अन्य नीतियों का निर्धारण समुचित ढंग से नहीं होना है। संरचनात्मक परिवर्तन भूमंडलीकरण का अभिन्न अंग है। संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर रूपान्तरण से है। इन परिवर्तनों का आधार उत्पादन एवं उपभोग, दोनों ही दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतराष्ट्रीय बाजारों के साथ समन्वय है।

भारत में भूमंडलीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 1991 में प्रारम्भ किये गये सुधारों के एक दशक के उपरांत भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है।

Scanned with CamScanner

भारत ने इस क्षेत्र में नीति निर्धारण की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान करके उसके समुचित एवं प्रभावकारी क्रियान्वयन पर बल दिया है। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी जिसे वर्ष 1999 में पुनरीक्षित कर क्रियान्वित किया गया। इस नीति के माध्यम से देश में दूरसंचार नेटवर्क का विकास कर सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दूरसंचार के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबद्ध करने के उद्देश्य से अगस्त 2001 में सरकार ने संचार अभिसारिता विधेयक 2001 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के तहत भारतीय दूरसंचार आयोग नामक एक विनियामक एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

इसके अतिरिक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की नई विनियामक संरचना तथा दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिक कारगर बनाने पर भी बल दिया गया है। विधेयक के तहत वर्णित तथ्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी भारतीय निकायों के निर्माण के लिए विलयों, अधिग्रहणों एवं समायोजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समता (इक्विटी) के पुनर्संरचना हेतु प्रयास करना है।

डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों का प्रभाव सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मानव संसाधन, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर पर परिलक्षित होता है। भारत सहित विश्व के अन्य देशों में सूचना प्रौद्योगिकी का एक उद्योग के रूप में त्वरित विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी के तीन खण्डों पर डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों का व्यापक प्रभाव परिलक्षित है।

हार्डवेयर व्यापार के क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद व्यापार से सम्बन्धित मंत्री स्तरीय घोषण-पत्र के अधीन समावेशित किया गया है। इस घोषणा-पत्र को सिंगापुर में 13 दिसम्बर, 1996 से प्रभावी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है:

- कम्प्यूटर
- दूर संचार से संबंधित उपकरण
- अर्द्धचालक निर्माण से संबंधित उपकरण
- अर्द्धचालक
- वैज्ञानिक उपकरण
- सॉफ्टवेयर

भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों को हटाने के प्रयास किये हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विपणन को इलेक्ट्रानिक कॉमर्स की संज्ञा दी गई है। अत: गैट का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के सभी पक्षों पर दृष्टिगोचर है। इस माध्यम से मांगे गये उत्पादों या सेवाओं की सुपुर्दगी इन प्रावधानों के अधीन की जाती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विषयों पर परामर्श हेतु भी इन प्रावधानों के अधीन कार्य करना होता है। गैट के तहत 11 आधारभूत सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिन्हें कुल 161 उप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। सभी प्रकार के सेवा क्षेत्रों में गैट के प्रावधानों के तहत सीमांतीय उदारीकरण पर विशेष बल दिया गया है।

वर्तमान में आयरलैंड, भारत तथा इजराइल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के सीमांतीय व्यापार में वृद्धि होने की सम्भावना है। सामान्यत: विकासशील देशों के कार्यकुशल व्यक्ति विकसित देशों में लाभ प्राप्त करते हैं। इस कारण डब्ल्यूटीओ के अधीन गैट का प्रभाव व्यापक है। यद्यपि साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के क्षेत्र में भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं लेकिन इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव संसाधन के सीमान्तीय प्रवाह से नहीं है।

भारत में भूमंडलीकरण एवं कृषि

भूमंडलीकरण के काल में भारत ने कृषि के क्षेत्र में भी प्रगति प्रदर्शित की है। यद्यपि कृषि में सार्वजनिक निवेश में आयी कमी सरकार के लिए गम्भीर चिंता का विषय है।

उदारीकरण में हुई अभिवृद्धि के कारण भारत में लगभग आत्मनिर्भरता, तुलनात्मक रूप से निम्न श्रम लागत और विविधतापूर्ण कृषि जलवायु

Scanned with CamScanner

परिस्थितियों के कारण कृषि निर्यातों हेतु अनेक वस्तुओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। देश के कुल आयात में कृषि का आयात का योगदान लगभग 5 से 6% है, देश के कुल निर्यात में कृषि का निर्यात लगभग 14 से 18% है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के आधार पर आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया है। इसके उपरान्त अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा स्तरों के अनुसार उत्पादकता के स्तर एवं गुणवत्ता मानकों में वृद्धि करना देश के समक्ष उपस्थित महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।

भूमंडलीकरण का प्रभाव

भूमंडलीकरण के निम्न लिखित क्षेत्र है जिसमें इसके प्रभाव अत्याधिक परिलक्षित हुए है:

कृषि समझौता: कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं परिदान के अनियंत्रित उपयोग गंभीर चिन्ता के विषय बन गये हैं। इस उपगम्य के कारण विश्व व्यापार संगठन के कृषि संदर्भ में हुए समझौता को प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। वर्तमान में इस समझौते का पुनरीक्षण किया जा रहा है। भारत ने इस संदर्भ में किसानों की सुरक्षा तथा आयात प्रतिबन्धों से सम्बन्धित विषयों पर दो तर्क स्पष्ट किये हैं। भारतीय तर्क के अनुसार आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध को घरेलू खाद्य नीति के आधार पर बनाये रखा जाना चाहिए। डब्ल्यू. टी. ओ. के प्रावधानों के अनुरूप लगाये जाने वाले मात्रात्मक प्रतिबंध तथा भारतीय घरेलू खाद्य नीति में विषमता के कारण निर्मित एक खाई से भारतीय किसानों को अत्यधिक नुकसान होने की आशंका है। कृषि समझौते के तहत वर्णित खाद्य सुरक्षा बाजार अभिगमन, घरेलू सहयोग तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पहलुओं की नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।

खाद्य सुरक्षा: खाद्य एवं कृषि संस्थान (Food and Agriculture Organisation) के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा एक भौतिक एवं आर्थिक अभिगमन है जिसके माध्यम से एक स्वस्थ तथा प्रभावी जीवन व्यतीत करने में व्यापक सहायता प्राप्त होती है तथा इसका विकासशील देशों में जीवनयापन के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। कृषि विदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है और यह विकासशील देशों सकल घरेलू उत्पाद में व्यापक योगदान प्रदान क है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता आलोक में कृषि समझौते के तहत विभिन्न प्रस किये गये हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्र हैं:

- नकारात्मक उत्पाद विशेष समर्थन सकारात्मक उत्पाद विशेष समर्थन समायोजित करने की अनुमति।
- कृषि समझौते के अनुच्छेद 5 द्वारा एक पृ आश्रय संक्रिया की उपलब्धता, इसके विशेष परिस्थितियों में मात्रात्मक प्रति लगाने का प्रावधान किया गया है। इस सी का निर्धारण अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान अनुरूप किया जायेगा।
- महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों पर आर्थिक छूट हेतु नम्य व्यवस्थ का प्रावधान।

बाजार अभिगमन: कृषि समझौते का उद्देश्य पूरे देश में बाजार अभिगमन में वृद्धि है। भारत ने यह विचार किया है कि उरूग्वे की वार्ता के उपरान्त विकासशील देशों अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के लिए दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरी दु के देशों से विकसित देशों में होने वाले निर्या 30% है जो संतोषजनक नहीं है। भारतीय स प्रपत्र के अनुसार औद्योगिक देशों की अधिक दरों के संदर्भ में भारत को भी अधिक शुल्क व चाहिए। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का औसत शुल्क 1995 में गेहूं के लिए प्रतिशत, बार्ली के लिए 197% एवं मक्के के 154% था। इस समझौते के अनुसार यह प्रस्ताव गया था कि जनवरी 2001 तक सभी विकसि औद्योगिक देशों द्वारा भुगतान कर दिया जाये शुल्क दर को कम किया जा सके और 20 अंत तक इसे घटा कर 50% कर दिया जाये। स में शुल्क दर कोटा प्रणाली को हटाये जाने बल दिया गया है।

घरेलू समर्थन: कृषि समझौते का दीर्घव उद्देश्य कृषि व्यापार प्रणाली को बाजार बनाना है। चूंकि वर्तमान में विकासशील देश

Scanned with CamScanner

वित्तीय संसाधन की समस्या से जूझ रहे हैं अत: अभी अधिक मात्रा में सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। समझौते के तहत विकासशील देशों की घरेलू नीतियों तथा कार्यक्रमों की पुर्नसरंचना पर बल दिया गया है। साथ ही एक ऐसी कार्यप्रणाली के अपनाए जाने पर बल दिया गया है कि घरेलू समर्थन को मुद्रास्फीति तथा विनिमय दर की विभिन्नता के आलोक में स्थिर मुद्रा में ही दर्ज करने की व्यवस्था की जा सके। समझौते के अनुसार गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को न्यूनता के प्रतिबन्धों से विमुक्त रखा जाना चाहिए।

निर्यात प्रतिस्पर्धा: कृषि समझौते के अन्तर्गत निर्यात के लिए ऋण सम्मिलित नहीं किये गये हैं। निर्यात के क्षेत्र में प्रतिभूति एवं बीमा कार्यक्रमों को प्रतिबद्धता ह्रास में रखा गया है। साथ ही समझौते के तहत सभी कृषि उत्पादों पर से निर्यात सहायकी को समाप्त कर दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

भूमंडलीकरण और मानव विकास

मानव विकास तथा समता, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के केन्द्र बिन्दु हैं जिन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुर्नपरिभाषित करने की आवश्यकता है। वस्तुत: भूमंडलीकरण एक अंतराष्ट्रीय प्रक्रिया है जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भूमंडलीकरण के सम्बन्ध में अत्यन्त रोचक तथ्य यह है कि इसे एक भय अथवा आशंका के साथ-साथ एक चमत्कारिक समाधान के रूप में भी संकल्पित किया गया है। लेकिन वर्तमान विश्व में इसने कई विशिष्टताएं प्राप्त कर ली है। भूमंडलीकरण ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानव प्रजाति में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास किया है। इस आधार पर इस प्रक्रिया को कवल पूंजी प्रवाह में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया माना जाना न्यायसंगत नहीं है।

वस्तुत: भूमंडलीकरण से तकनीकी विकास, सांस्कृतिक पारस्परिकता तथा वैश्विक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रयासों से भूमंडलीकरण एवं मानव विकास को समन्वित करने में सहायता प्राप्त हुई है जिसका मुख्य कारण व्यापार एवं सेवा के क्षेत्रों में किये गये समझौते और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मानदंडों का निर्धारण है। भूमंडलीकरण के कारण ही तकनीकी विकास एवं निवेश में वृद्धि संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त विकासशील एवं विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय में गरीबी उपशमन एवं अन्य सामाजिक तथा मानव विकास से संबंधित समस्याओं के निराकरण में भी व्यापक सहायता प्राप्त होती है। शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संबंधी विषयों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा सामाजिक, पर्यावरणीय जनसंख्या एवं महिला विषयों पर आयोजित अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों ने भी मानव विकास की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान की है।

बहरहाल, आधुनिक विश्व में अर्थव्यवस्था के बाजार आधारित होने के कारण मानव विकास की तुलना में मुक्त व्यापार, पूंजी एवं सूचना प्रवाह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिकांश देशों ने मानव एवं सामाजिक विकास से संबंधित समस्याओं का राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करने पर बल दिया है जिसके फलस्वरूप भूमंडलीकरण के लाभों का यथेष्ट वितरण संभव नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में इन कारणों से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में विषमता उत्पन्न करने की आशंका है। भूमंडलीकरण ने कई देशों को लाभान्वित अवश्य किया है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वैश्विक स्तर पर नये नियमों एवं विनियमों का निर्धारण किया गया है जिससे मानव तथा पर्यावरणीय संसाधनों का समान एवं प्रभावी दोहन संभव हो सके। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 80% देशों में प्रति व्यक्ति आय अभी न्यून है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर स्पष्ट होता है कि गत दशक की तुलना में इन देशों की प्रति व्यक्ति आय में कमी आयी है जिसके कारण अंतराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक विषमता में वृद्धि हुई है। साथ ही जनसंख्या के एक बड़े भाग में असुरक्षा की भावना का भी विकास हो गया है। सामान्यत: मानव विकास का प्रत्यक्ष संबंध सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण

Scanned with CamScanner

मस्याओं के संदर्भ में उत्पन्न विवादों के कारण
र्धन देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं
ो पा रहा है । यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पर्क
थापित करने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किये
, तथापि इसमें विश्व में तकनीकी ध्रुवीकरण भी
किया है।

एक ओर जहां विकसित देशों में नई तकनीकों के माध्यम से शिक्षा के स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव विकास पर परिलक्षित है, वहीं दूसरी ओर निर्धन देशों में शिक्षा के अभाव में मानव विकास पूर्णतः बाधित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, वैश्विक तकनीकी विकास का अन्योन्याश्रय संबंध मानव प्रगति एवं गरीबी उपशमन से है लेकिन इस दिशा में कारगर प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में भी प्रयास करने का अनुरोध कमोवेश सभी राष्ट्रों से किया है जिसकी सहायता से सम्पूर्ण मानव प्रजाति के विकास में सहायता प्राप्त हो।

भूमंडलीकरण एवं लोकतंत्र

विशेषज्ञों के अनुसार भूमंडलीकरण लोकतंत्र के विकास के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। शीत युद्धोत्तर काल में लोकतंत्र का उदारीकरण किया गया है। दूसरे शब्दों में जो देश लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने भी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर रूपान्तरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ किया। कई देशों में ऐसी व्यवस्था कायम की जा चुकी है जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को प्रमाणित करती है। दूसरी ओर भूमंडलीकरण के कारण सीमांतीय प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने से उनकी अखण्डता पर खतरे की आशंका में वृद्धि भी हुई है। यह आशंका मादक द्रव्यों अथवा हथियारों की तस्करी के रूप में अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है। इसके विपरीत कई देशों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान वर्तमान में भूमंडलीकरण के अधिकांश कार्यक्रमों का क्रियान्वयन डब्ल्यूटीओ के माध्यम से किया जाता है। इस संदर्भ में भी विकासशील एवं विकसित देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि डब्ल्यूटीओ को लोकतांत्रिक बनाये जाने का प्रयास किया जाये। इन परिस्थितियों में सभी राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक व्यापार को नियंत्रित किया जाता है तथापि विकासशील देशों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार-आधारित नये निर्णय लेने का कार्य इन्हीं देशों द्वारा किया जाता है जिससे भविष्य की व्यापार प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण संभव है।

भूमण्डलीकरण एवं व्यापार

अंतराष्ट्रीय व्यापार आयात एवं निर्यात पर निर्भर करता है। आयात एवं निर्यात के प्रतिफल को व्यापार शेष कहते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण होता है। वर्तमान संदर्भ में अंतराष्ट्रीय व्यापार में व्याप्त असमानता के कारण उत्तर-उत्तर तथा दक्षिण-दक्षिण संघर्ष विद्यमान है। व्यापार के इस क्षेत्र में असमानता को दूर करने के लिए वर्ष 1995 में डब्ल्यूटीओ नामक संगठन की स्थापना की गयी थी। सन 1980 एवं 1990 के दशकों में राष्ट्रों की व्यापार नीतियां आर्थिक उदारीकरण का पर्याय बन गयी है। हाल के वर्षों में उदारीकरण की नीतियों के क्रियान्वित होने के कारण वैश्विक स्तर पर गरीबी उपशमन में सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

उदारीकरण के प्रथम और द्वितीय चरणों में विशेषकर विकासशील देशों में गरीबी उपशमन की एक युक्ति के रूप में औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में आई कठिनाइयों गंभीर चिंता का विषय है। इसी

Scanned with CamScanner

प्रकार निर्यात संवर्द्धन, जिसका प्रत्यक्ष लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाता है, यह भी समस्या का एक प्रमुख कारण है। स्पष्टत: विकासशील देशों के संदर्भ में ही व्यापार एवं औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इन नीतियों के तहत गैर-क्षेपण (Anti-dumping) विषयों पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी क्रम में अंतराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के आधार पर सन् 2010 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के मद्देनजर तथा सभी राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए।

भूमंडलीकरण एवं गरीबी उन्मूलन

विकासशील देशों में घरेलू बचत का निवेश सर्वाधिक प्रमुख साधन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। आंकड़ों के अनुसार दक्षिण एशिया एवं निम्न सहारा अफ्रीकी देशों में घरेलू बचत के न्यून होने के कारण निवेश की दर में कमी आयी है। निवेश में कमी का परिणाम यह होता है कि राष्ट्रों को नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के संदर्भ में भूमंडलीकरण का उचित एवं यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नितांत आवश्यक होती है। विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं के अनुसार कार्यकुशलता गरीबी एवं नीति निर्धारण के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। विगत एक दशक से विभिन्न देशों को विकासात्मक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

दक्षिण एशिया में विकासात्मक सहयोग के रूप में 10 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तथा मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में 950 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रदान किये जाते हैं। गरीबी उपशमन को लक्षित कर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्यों ने अफ्रीकी एवं एशियाई देशों को बहुपक्षीय विकास हेतु सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मध्यम आय वाले देशों में जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को विवश है, केवल विकासात्मक सहयोग द्वारा ही स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इन देशों में संसाधनों की प्रचुरता है जिसके कारण इन्हें गरीब देशों की तुलना में कम अल्पकालिक सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन इस कार्य में तकनीकी सहायता का विशेष महत्व है।

लगभग 160 मिलियन जनसंख्या ऐसे देशों में निवास करती है जिन्हें विश्व बैंक द्वारा विकासात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है जबकि 288 मिलियन जनसंख्या उन देशों में है जहां विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध तो है लेकिन राष्ट्रीय नीतियों के प्रभावकारी नहीं होने के कारण बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का विशेष लाभ आम जनता को प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुत: ऐसी सहायता का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब राष्ट्रीय नीतियों का दृष्टिकोण मानवतावादी हो तथा आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित किये जाने का कारण निर्धारित किया जाये। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी अपेक्षित है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को त्वरित गति प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा भूमंडलीकरण ने प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण विभिन्न विकासशील देशों में सरकारों को रणनीतियों के निर्धारण में व्यापक सहायता प्राप्त हुई है जिनका मुख्य लक्ष्य गरीबी उपशमन है। इन नीतियों के कारण कमोवेश प्रत्येक विकासशील देश में विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सफलता प्राप्त हुई है। दूसरी ओर साफ्टवेयर के क्षेत्र में विकास होने के फलस्वरूप औद्योगिक देशों में भी ज्ञान आधारित उद्योगों को समृद्ध बनाने में सफलता मिली है।

ससेक्स विश्वविद्यालय के जॉन मिलर तथा रॉबिन मैनसेल द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह स्पष्ट किया गया है कि साफ्टवेयर के क्षेत्र में हुए विकास का प्रभावकारी उपयोग गरीबों के सहायतार्थ ही किया जाना चाहिए। स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा साफ्टवेयर के उपयोग का लाभ अन्य स्थानीय विकासात्मक योजनाओं के संदर्भ में ही किया जाना अपेक्षित है। गरीबों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नये उपयोग के संबंध में संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। लघु स्तर पर साफ्टवेयर के विकास का स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय भी आवश्यक है। सफल तथा

Scanned with CamScanner

कार्यकुशल उपयोगिता का संबंध आय में वृद्धि करने वाली नई युक्तियों, बेहतर उत्पादन प्रक्रियाओं तथा लाभ के अन्य प्रयासों, बेहतर आपूर्तिकर्ता उपभोक्ता संबंध तथा समुदाय के सतत् विकास के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। साफ्टवेयर की उपयोगिता की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उनका प्रयोग स्थानीय समुदाय के विकास के लिए किया गया है अथवा नहीं। इस कार्य के लिए साफ्टवेयर का विकास करने वालों तथा स्थानीय उपभोक्ताओं के मध्य सम्बन्धों में प्रगाढ़ता की आवश्यकता होती है।

भूमंडलीकरण एवं लैंगिक संबंध

भूमंडलीकरण के दौर में सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कारण यह सम्भावना व्यक्त की जाती है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया महिलाओं की वैश्विक स्थिति में सुधार लाने में विशेष योगदान देगी। वस्तुत: वर्तमान काल में महिलाएं उत्पादन प्रणालियों के मुख्य केन्द्र हैं। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन उनके देशांतरण के दृष्टिकोण से भी परिलक्षित होता है। पूर्व में अधिकांशत: पुरूष वर्ग में ही अंतराष्ट्रीय स्तर पर देशान्तरण होता था लेकिन हाल के वर्षों में महिलाओं में भी देशान्तरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ है।

भूमंडलीकरण की सहायता से सतत विकास के सुनिश्चितीकरण हेतु महिलाओं से संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार तथा कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं का प्रत्यक्ष संबंध अनौपचारिक क्षेत्र में भी है जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय उत्पादन प्रणाली के साथ उनका समन्वय है। आयात एवं निर्यात जैसी प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी महिलाओं द्वारा अप्रतिम योगदान दिया जाता रहा है। इसके विपरीत भूमंडलीकरण के तीव्र विकास ने बहुधा धार्मिक उन्माद जैसी प्रवृत्तियों का भी विकास किया है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रश्न अत्यन्त गम्भीर हो गये हैं। साथ ही ऐसी उन्मादी प्रवृतियां सीमांतीय दायरों से बाहर होकर अन्य देशों अथवा क्षेत्रों में भी प्रवेश करती है जिनके कुप्रभाव महिलाओं पर सर्वाधिक परिलक्षित होते हैं।

कई विकासशील देशों में लिंग अनुपात की न्यूनता ने सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट भी किया है। भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में यह जानना अति आवश्यक है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में मानवतावादी दृष्टिकोण किस रूप में तथा किस सीमा तक अपनाया जा सकता है। आज तक सम्पूर्ण विश्व भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, सभी राष्ट्रों की सरकारों को महिलाओं के अधिकारों एवं उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए।

भूमंडलीकरण और भ्रष्टाचार

ट्रांसपरेन्सी इन्टरनेशनल के अनुसार निजी लाभ हेतु शक्ति का दुरूपयोग करने वाले कार्य को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गयी है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति, नौकरशाही अथवा किसी व्यवसाय के नैतिक दिवालियेपन का द्योतक है जो वैद्यानिक दृष्टिकोण से किसी गलत कृत्य द्वारा उत्पन्न होता है। भारतीय सन्दर्भ में भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत परिभाषित किया गया है। कानून की धारा 7 के तहत यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी लोक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से वैधानिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पारिश्रमिक प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के कृत्य को भ्रष्टाचार कहा जाता है। इस प्रकार का पारिश्रमिक अधिकारी विशेष द्वारा उस व्यक्ति अथवा उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान करने के संदर्भ में प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे कृत्य के लिए कानून के तहत न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 5 वर्षों के कारावास का प्रावधान किया गया है। कारावास के दण्ड के अतिरिक्त ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारी को मौद्रिक दंड दिये जाने का भी प्रावधान है।

भ्रष्टाचार की परिभाषा का अध्ययन करने के उपरांत यह जानना आवश्यक है कि

Scanned with CamScanner

भूमंडलीकरण के दौर में भ्रष्टाचार का विचार अंतराष्ट्रीय स्तर पर किस सीमा तक हुआ है। दुर्भाग्यवश वैश्विक स्तर पर इस संबंध में सटीक आंकड़ों की अनुपलब्धता है। लेकिन अमेरिका स्थित निर्बंधित प्रतारण परीक्षक संघ ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर कमोबेश सभी संगठनों का भ्रष्टाचार के कारण अपनी वार्षिक आय के लगभग 6% अंश की हानि होती है। भ्रष्टाचार का विस्तार भूमंडलीकरण के काल में विशेषकर विकाशील देशों में हुआ है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है। भ्रष्टाचार के कारण एक स्वस्थ बाजार का विकास भी सम्भव नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है भ्रष्टाचार में हुई वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सन् 1990 के दशक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार की प्रवृति को समाप्त करने के कलए सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में विशेषकर विकासशील देशों में सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। दिसम्बर 1997 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें अंतराष्ट्रीय व्यापारिक सौदों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नये प्रयास किये जाने पर बल दिया गया था। सम्मेलन में यह भी चर्चा की गयी कि ऐसे कार्यों में लिप्त विदेशी अधिकारियों को दण्डित करने का प्रावधान भी आवश्यक है ताकि वैश्विक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त हो सके। सम्मेलन के घोषणा पत्र का अनुमोदन करने वाले सभी राष्ट्रों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए नये विधानों के निर्धारण के प्रति अपनी कटिबद्धता व्यक्त की है।

भूमंडलीकरण एवं श्रम मानक

रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन की एक प्रमुख युक्ति के रूप में भूमंडलीकरण की पहचान की गई है। यह कार्यकुशल उत्पादन प्रणाली के लिए पूंजी एवं श्रम के पुनर्विनियोजन में भी सहायता प्रदान करता है। उत्पादन प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि के कारण उत्पादों एवं सेवाओं की कीमतों में न्यूनता आती है जो अन्ततः श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने में सक्षम है। हालांकि कई अवसरों पर रोजगार के अवसरों में कमी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण हुई है। उदाहरणार्थ यूरोप में अनन्य पारिश्रमिक के कारण बेरोजगारी की समस्या का विस्तार हुआ है। उत्पादकों के अनुसार विदेशी सस्ते श्रम की सेवा प्राप्त करने से उनकी सुरक्षा के लिए प्रशुल्क का आरोपण अनिवार्य हैं। सैद्धान्तिक रूप से ऐसे श्रम की सेवा प्राप्त करने हेतु तकनीकी विकास ने विभिन्न राष्ट्रीय बाजारों का एकल अंतराष्ट्रीय बाजार के साथ समन्वय स्थापित करने में व्यापक योगदान दिया है। ऐसे बाजारों से प्राप्त क्रय की अपेक्षा श्रम की उपलब्धता में वृद्धि होगी। घरेलू आय में वृद्धि के लिए सस्ते श्रम को सेवाओं की अपेक्षा कम किया जा सकता है।

एक ओर जहां उपभोक्ताओं की न्यून व्यय भारित से क्रय शक्ति में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर पूंजी समन्वय के लिए संसाधनों के विमुक्तिकरण में भी व्ययभारिता कम होती है जिसमें अन्ततः क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर श्रम संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उनके मध्य होने वाला समझौता है। ऐसे समझौता की द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय प्रवृत्ति के संबंध में अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि श्रम सम्बन्धी समझौते क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर पर किये जाते हैं। श्रम संबंधी समझौतों के क्रियान्वयन के पूर्व ट्रेड यूनियनों की संख्या एवं उनकी प्रकृति के साथ-साथ दक्ष तथा निम्नस्तरीय श्रमिकों के मध्य समन्वय की स्थापना की संभाव्यता का भी ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों का निष्पादन अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जाता है। संगठन के समक्ष लगभग 150 देशों के श्रम संबंधी अनुसंधानों की सूचना उपलब्ध है।

संगठन द्वारा किये गये अनुसंधानों से स्पष्ट होता है भारत जैसे विकासशील देशों में कई प्रकार की न्यूनता के कारण रोजगार के अवसरों में कमी

Scanned with CamScanner

पायी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे देशों में कई श्रमिकों को अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पर कार्य करना होता है। द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सौदों की संकल्पना भी भारत जैसे देशों में विकसित नहीं हो पाती है जिसका मुख्य कारण बेरोजगार श्रमिकों को इस कार्य के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाना है। कभी-कभी ऐसे श्रमिकों को यदि अवसर प्राप्त हो भी गया है तो भी औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के मध्य के विषमता के कारण उन्हें समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। भारत के अतिरिक्त ऐसी समस्याएं अर्जेन्टीना, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में विद्यमान हैं।

रोजगार एवं पारिश्रमिक संबंधी विषयों पर किये गये कमोबेश सभी वैश्विक अध्ययनों से स्पष्ट है कि विगत दो दशकों में लगभग सभी औद्योगिक देशों में न्यून दक्षता वाले श्रमिकों की स्थिति में गिरावट आई है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसी अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित रूप से संवृद्धि भी हुई है। विकासशील एवं विकसित देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों की प्रगाढ़ता भी बढ़ी है। हाल के वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संकल्पना के विकास ने इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 एवं 1990 के मध्य अंतराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह में औसतन 30% की वार्षिक वृद्धि हुई है। स्पष्टत: विदेशी व्यापार रोजगार सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में सक्षम नहीं हैं। अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार के माध्यम से रोजगार सृजन के कार्य किये जा सकते हैं।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की वर्ष 1994 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के न्यून भाग ने पुनर्स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों में कुल निवेश प्रवाह का लगभग आधा भाग खनन अथवा गैर-व्यापारिक गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। चूंकि ऐसी गतिविधियों को आनुवांशिक रूप में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अत: इनमें रोजगार के अवसरों की पुनर्स्थापना भी कर पाना सम्भव नहीं होता है।

डा० उपेन्द्र कुमार गुप्ता
चास महाविद्यालय, चास
मो० - 9507545635

Scanned with CamScanner